उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-33/2012-13

मु0 मजीद

बनाम्

अंचल अधिकारी, महागामा एवं अन्य

-: आदेश :-

दिनांक 25/06/21

सुनवाई की निर्धारित तिथि को बार-बार पुकार करने पर आवेदक अनुपस्थित रहें हैं।

अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया आवेदक मु0 मजीद, पे0-स्व0 शेख इब्राहिम, सा0-गढ़ी, थाना-हनवारा, अंचल-महागामा, जिला-गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अंचल अधिकारी, महागामा के विविध सैरात अभिलेख सं0-05/2012 के द्वारा मौजा-गढ़ी थाना नं0-481 गैरमजरूआ खाता सं0-69 दाग नं0-271 एवं 451 के पोखर के अस्थायी सैरात बंदोवस्ती को रद्ध करने के लिए अपील आवेदन दाखिल किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, महागामा के पत्रांक-151/रा0 दिनांक-14.03.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि भूमि मौजा-गढ़ी थाना नं0-481 गैरमजरूआ खाता सं0-69 के अंदर दाग नं0-271 रकवा 01-13-18 धुर किस्म पोखर एवं दाग नं0-451 रकवा 02-05-15 धुर किस्म पोखर गेंजर सर्वे खतियान में अंकित है। उक्त भूमि गैरमजरूआ आम श्रेणी की है। वर्तमान में भी दोनों दाग नं0 पोखर के अस्तित्व में है। उकत दोनों तालाब सैरात के अंतर्गत है, जिसकी बंदोवस्ती जिला मत्स्य पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा की जाती है।

Seen
RO
A-W
26.6.21

आवेदक के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण आवेदक को अंतिम नोटिश दिया गया। नोटिश तामिला के बाद भी सुनवाई की निर्धारित तिथि को आवेदक अनुपस्थित रहें। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक का वर्तमान वाद में अभिरूचि नहीं रह गया है।

अतः आवेदक के अभिरूचि के अभाव में वर्तमान वाद की प्रक्रिया समाप्त की जाती है।

लिखवाया एवं शुद्ध किया।

25/06/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

25/06/21

उपायुक्त,
गोड्डा।

RMA No. 33-2012-13

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.10 13:09:01 +05:30
Location: 192.168.29.32